-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 15.10.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **मिशन शक्ति 5.0 अभियान के क्रम थाना कोतवाली नगर व साइबर टीम द्वारा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया जागरुकता कार्यक्रम। छात्राओं को उनकी सुरक्षा अधिकारों, सशक्तिकरण, साइबर सुरक्षा, आत्मरक्षा, आदि सहित कैरियर सम्बन्धी विकल्पों के बारे में दी गई जानकारी।**

विवरण- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महिला सुरक्षा एवं सशक्तीकरण हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में सघन जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 15.10.2025 को थाना कोतवाली नगर, साइबर क्राइम पुलिस थाना एवं महिला कल्याण विभाग की संयुक्त टीम द्वारा थाना कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित कर छात्राओं को जागरुक किया गया। इस दौरान छात्राओं को उनकी सुरक्षा अधिकारों, सशक्तिकरण, साइबर सुरक्षा, आत्मरक्षा आदि सहित कैरियर सम्बन्धी विभिन्न विकल्पों के बारे में जानकारी दी गई। जिसमें मिशन शक्ति टीम द्वारा महिला सुरक्षा संबंधी विभिन्न कानूनों जैसे कि पॉक्सो एक्ट, छेड़छाड़ व घरेलू हिंसा कानून, विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों तथा प्रत्येक थाने में बने महिला हेल्प डेस्क व साइबर हेल्प डेस्क आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में छात्राओं को आत्मरक्षा के प्राथमिक उपायों का प्रदर्शन कर उन्हें सिखाया गया कि किस प्रकार से किसी भी आपात स्थिति में स्वयं की रक्षा की जा सकती है। इससे न केवल शारीरिक रूप से सक्षम बना जा सकता है बल्कि मानसिक रूप से भी सतर्क और आत्मविश्वासी बनने की प्रेरणा भी मिलती है। कार्यक्रम में छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न कैरियर विकल्पों की भी जानकारी दी गई साथ ही उन्हें बताया गया कि उचित मार्गदर्शन एवं परिश्रम से वे अपने सपनों को साकार कर सकती हैं। साइबर टीम द्वारा वर्तमान में आधुनिक तरिकों से होने वाले साइबर अपराधों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई जिसमें- केवाईसी अपडेट, फर्जी कॉल्स या लिंक भेजना, ओटीपी फ्रॉड, यूपीआई स्कैम (UPI Scam), सोशल मीडिया हैकिंग, फर्जी कॉल्स आदि प्रकार के साइबर अपराधों के बारें में जानकारी दी गई और लोगों को जागरूक किया गया कि वे किसी भी संदिग्ध लिंक, कॉल या मैसेज पर बिना सत्यापन के कोई भी जानकारी साझा न करें। साथ ही साइबर अपराध/ठगी का शिकार होने पर तत्काल नजदीकी पुलिस स्टेशन, साइबर क्राइम पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) या साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर कॉल कर तुरंत शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई।